The Madhya Pradesh Vas-Sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2012

Act 2 of 2012

Keyword(s):
Vas-Sthan Dakhalkar, Bhumiswami Adhikar, Land Owner, Rights, Land

Amendments appended: 21 of 2012, 29 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2012—फाल्गुन 11, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 मार्च, 2012

क्र. 1487-69-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 2 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH VAS-STHAN DAKHALKAR (BHUMISWAMI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2012

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 2.

2. In Secton 2 of the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiva Jana) Adhiniyam, 1980 (No. 4 of 1980) (hereinafter referred to as the principal Act), for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the Principal Act, in clauses (ii) and (iii), for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be subsituted.

Amendment of Section 4.

4. In sub-section (1) of Section 4 of the Principal Act, for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is provided in Section 4 of the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980 (No. 4 of 1980) that in any non-urban area, homestead occupied by a landless person in or appurtenant to an agricultural land on the 14th April, 2003, shall on the said date be deemed to have vested in him in Bhumiswami rights provided he had been in possession thereof for one or more years prior to that date.

2. It has come to the notice of the State Government that several landless persons who has been in possession of homestead after 14th April, 2003, which is situate on or appurtenant to agricultural land in non-urban areas of the State could not get the Bhumiswami rights. With a view to confer Bhumiswami rights on such landless persons having homesteads in agricultural lands, it has been decided to amend the Principal Act, suitably.

3. Hence this Bill.

BHOPAL :
Dated, the 22nd February, 2012.

JAISINGH MARAVI
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217] भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 अप्रैल 2012—वैशाख 10, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 2665-167-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१२

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१२

[दिनांक २५ अप्रैल, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक ३० अप्रैल, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१२ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ४ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, अंक तथा शब्द ''१४ अप्रैल, २००३'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''३१ दिसम्बर, २०११'' स्थापित किए जाएं. धारा २ का संशोधन.

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ में खण्ड (दो) तथा (तीन) में, अंक तथा शब्द "१४ अप्रैल, २००३" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "१४ अप्रैल, २००३" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 2666-167-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 21 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH VAS-STHAN DAKHALKAR (BHUMISWAMI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 25th April, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th April, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 2. 2. In Secton 2 of the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980 (No. 4 of 1980) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted

Amendment of Section 3. 3. In Section 3 of the Principal Act, in clauses (ii) and (iii), for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted.

Amendment of Section 4. 4. In sub-section (1) of Section 4 of the Principal Act, for the figures and word "14th April, 2003", the figures and word "31st December, 2011" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 2017—भाद्र 16, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. 14655-204-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 अगस्त 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् २०१७

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक २९ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ७ सितम्बर, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० को और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१७.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ४ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (घ) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" स्थापित किए जाएं.

धारा 3 का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, खण्ड (दो) तथा (तीन) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" स्थापित किए जाएं.

धारा 4 का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. 14655-204-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 29 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 29 of 2017

THE MADHYA PRADESH VAS-STHAN DAKHALKAR (BHUMISWAMI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017.

[Received the assent of the Governor on the 29th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th September 2017].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vas-Sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2017.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vas-sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980 (No. 4 of 1980) (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (d), for the figures and word "31st December, 2011", the figures and word "31st December, 2014", shall be substituted.

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the principal Act, in clause (ii) and (iii), for the figures and word "31st December, 2011", the figures and word "31st December, 2014", shall be substituted.

Amendment of Section 4.

4. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (1), for the figures and word "31st December, 2011", the figures and word "31st December, 2014", shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.